

कार्यालय— नगर पंचायत, विक्रम (पटना)

विक्रम नगर पंचायत क्षेत्रान्तर्गत प्रयोजनों के लिए अनुज्ञाप्ति हेतु आम सूचना बिहार नगरपालिका अधिनियम 2007 के धारा 342 के अनुपालन के लिए नगर पंचायत विक्रम के बोहे के द्वारा प्रयोजनों के लिए कार्यों की दो निम्न कोटियों बनाई गई हैं—

कोटि A — होटल (आवासीय), इंट भठ्ठा, धार्य काटा, बैकिंग, दवा दुकान, आरा मशीन, खाद दुकान (बीटनाशक दवा सहित), कनीचर दुकान, गैस दुकान, ग्लास हाउस, स्वर्णकार, गलता च्यापार (थोक एवं खुदरा किराना दुकान), गन हाउस बर्फ मशीन, प्रेस, लौह-भंडार, लोहे से बनी सामाजी एवं विनिर्माण व्यवसाय, सीमन्ट एवं गिट्टी दुकान, चूना भण्डार, पेट्रोलियम, प्लास्टिक से बने सामाजी का दुकान एवं व्यवसाय, रेडियो एवं रेडियो मरम्मति एवं प्रचार एवं टीवीभी, बिक्री केन्द्र, इलेक्ट्रीक एण्ड इलेक्ट्रॉनिक दुकान, घमडा का व्यवसाय (चूता चप्पल की दुकान), एसवेस्टस भंडार, टाइल्स, उन भंडार, शक्कर भण्डारण पैक करना, दबाना, तैयार करना, परशुद्धि करना, बर्तन व्यवसाय, बस्त्र भंडार, कलपुर्जी का दुकान, पत्थर का व्यवसाय (मार्बल), जेनरल स्टोर्स, खाद निर्माण, मोबाइल एवं मोबाइल मरम्मति, कोयला बिक्री केन्द्र, किताब दुकान, शिलांग संस्थान, नर्सिंग होम कबाढ़ी, सिनेमाघर, इत्यादि।

कोटि B- रेस्तराँ, भोजनालय, मिठाई दुकान, नोटर वाहन, मोटर साईकिल स्पेयर पार्ट्स की दुकान स्पेशिंग एवं मरम्मति, बैकरी, रल भंडार, मिर्च मशाला पिसाई मशीन, बिजली दुकान, मॉस-मछली का दुकान, आटा-चक्की, धी भंडार, बोरा भंडार, हेयर इंसर (नाई की दुकान), धान कुट्टी मशीन, रटूडियो, तम्बाकू/खैनी (पान-सिंगरेट दुकान), धोकी का कारोबार, कपास रुई का कारोबार, चाय दुकान, गिफ्ट कॉर्नर, सौन्दर्य प्रसाधन, पेन्टिंग, टेलर्स, चाय दुकान, इत्यादि।


उपर्युक्त कोटियों के गैर आवासीय प्रयोजनों के कार्यों का अनुज्ञिप्त शुल्क—

क्रमांक	प्रयोजन का वर्गीकरण	अनुज्ञाप्ति शुल्क	वार्षिक नवीनीकरण शुल्क (प्रतिवर्ष)
1	कोटि A के लिए	1000.00	500.00
2	कोटि B के लिए	600.00	300.00

उपरोक्त श्रेणी कोटि में आने वाले प्रयोजनों से संबंधित कार्य करने वाले व्यक्ति नगर पंचायत विक्रम के कार्यालय में आवेदन देकर प्रकाशन के 15 दिनों के अन्दर तक अनुज्ञाप्ति प्राप्त कर ले। उक्त समय तक अनुज्ञाप्ति नहीं प्राप्त करने वाले दोषियों के विरुद्ध कानूनी कारवाई किया जाएगा।

नोट — नगर पंचायत क्षेत्रान्तर्गत होडिंग हेतु कार्यालय से अनुमति लेकर ही होडिंग लगाये, बिना अनुमति के लगाने वाले व्यक्ति पर कानूनी कारवाई की जाएगी।

आवश्यक सहयोग हेतु जनहित में प्रसारित।

आदेशानुसार

 कार्यपालक पदाधिकारी,
 नगर पंचायत विक्रम।

ਦੇਸ਼ ਪੰਚਾਂਗਤ ਵਿਧਾਸ, ਪਟਨਾ

बिहार नगरपालिका अधिनियम 2007 के धारा 347 के तहत निम्न प्रयोजन हेतु

Trade License



पिंडधन संस्था :-

- प्रयोजन :—
 - व्यवसायिक इकाई का नाम :—
 - पता :—
 - अनुज्ञापि शुल्क :—

अनुज्ञप्ति का दिनांक :-

कार्यपालक पदाधिकारी,
नगर पंचायत बिक्रम

नवीकरण शूल्क हस्ताक्षर / मोहर

ਨਵੀਕਰਣ ਵਰ্ষ